

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—749 / 2009

संस्थित दिनांक—02.12.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. कलाबाई कुमारे पति विपतलाल कुमारे, उम्र 45 साल,
निवासी ग्राम खर्रा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश पिता सहदेव वरकड़े, उम्र 27 साल,
निवासी ग्राम खर्रा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(दिनांक—24 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 355, 506—बी का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.10.2009 को समय 13:00 बजे ग्राम खर्रा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादी धरमसिंह को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं स्वमूत्र को हाथ में लेकर प्रार्थी धरमसिंह सरपंच व अन्य पंचों के उपर अनादर करने के आशय से डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा प्रार्थी धरमसिंह व अन्य पंचों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी धरमसिंह ने दिनांक 16.10.2009 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध कराई कि ग्राम खर्चा में रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सड़क व पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था। पुलिया के सीमेंट का पाईप चोरी हो गये थे जिसके संबंध में दिनांक 15.10.2009 को ग्राम खर्चा में दुर्गा चौक पर मीटिंग रखी थी अशोक पटले, गणेश मेरावी, जोरसिंह मेरावी, शिवलाल परते, चरन कुमार पटले, घनश्याम बरकड़े, सूरनान पटले, हरेसिंह पटले, गेंदलाल मेरावी, भगेलसिंह मेरावी व गांव के अन्य लोग करीबन 50-60 लोग शामिल थे तथा गांव के विकास के लिए पुलिया निर्माण में लगने वाले पाईप की चोरी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। प्रकाश प्रधान आया व मीटिंग में व्यवधान डालने लगा व कहने लगा कि तुम कौन होते हो चोरी पर मीटिंग करने वाले। मीटिंग में बार-बार बिना मतलब की बात करने से उसे मीटिंग में से जाने के लिये कहा तो कलाबाई व प्रकाश दोनों सभी मीटिंग में बैठे पंचों बोले कि सरपंचों तुम्हारी दाइयो को चोदू, सरपंच झाटे का बाल, मादर चोद, बिना मूँछ वाले, गाडू पंच यहाँ क्यों बैठे हो। उन्हें गाली देने से मना किया तो कलाबाई ने पेटीकोट में दोनों हाथ डालकर पेशाब मीटिंग में बैठे लोगों के उपर फेंका और अपमानित किया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/09 धारा 294, 355, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 355, 506-बी, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 355, 506-बी का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.10.2009 को समय 13:00 बजे ग्राम खर्चा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादी धरमसिंह सरपंच

जो पंचो के साथ मीटिंग में बैठा था को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

(2) क्या आरोपीगण ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर माहावारी से होते हुए स्वमूत्र को हाथ में लेकर प्रार्थी धरमसिंह सरपंच व अन्य पंचो के उपर अनादर करने के आशय से डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(3) क्या आरोपीगण ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी धरमसिंह व अन्य पंचों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी धरमसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना 16 नवम्बर 2010 की है। रोड के किनारे से पुलिया निर्माण सामग्री चोरी हो गई थी जिसके संबंध में उन्होंने ग्राम खर्चा में दुर्गा मंच में मीटिंग बुलाई थी गांव के करीबन पचास नागरिक शामिल थे प्रकाश मीटिंग में आया और विवाद करने लगा। आरोपी प्रकाश ने कहा कि तुम लोग चोरी की मीटिंग रखने वाले होते कौन हो जब मीटिंग में उपस्थित लोगों ने उसे समझाया तो वह घर चला गया, थोड़ी देर बाद उसकी माँ को साथ लेकर आया और कलाबाई बोली कि पंचो की दाई को चोदू, यह बिना मूँछ वाले है, गांडू है हाथ से पेशाब करके पूरे पंचों के उपर फेंक दी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट

दिनांक 15.10.2009 को थाना में लिखाई थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता गुरुबचन सिंह (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 16.10.2009 को सूचनाकर्ता धर्मसिंह मेरावी की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/09 अन्तर्गत धारा 294, 355, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी धर्मसिंह मेरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। दिनांक 16.10.2009 को प्रार्थी धर्मसिंह मेरावी, जोरसिंह, शिवलाल एवं दिनांक 17.10.2009 को गणेश, सुरलाल, अशोक, भगेलसिंह, घनश्याम, चरणकुमार, गेंदलाल, हरेसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 10.11.2009 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 व 04 तैयार किया था जिस पर उसके व आरोपीगण तथा साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी गणेश (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी है। गांव की पंचायत की पुलिया चोरी हो गई थी जिसके संबंध में गांव के दुर्गा पंच पर मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में 20-25 लोग शामिल थे। उस समय वहां पर आरोपी कलाबाई आ गई और कहने लगी कि उसके लड़के के साथ किसने मारपीट की। तुम्हारी ऐसी की तेसी, माँ का भोसड़ा बैठे हो तुम्हारी मुंह में मुत दुंगी गाली देने लगी जो सुनने में बुरी लगी इसके बाद आरोपी कलाबाई ने अपने कपड़े उपर उठाकर हाथ में पेशाब लेकर मीटिंग में जो लोग बैठे थे उन पर उछाल कर फेंकी। घटना के दूसरे दिन सब लोगों ने मिलकर थाने में रिपोर्ट किये। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुरलाल परते (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना दिनांक 15.10.2009 दिन गुरुवार की ग्राम

खर्रा की है। पंचायत की सीमेंट के बोरा चोरी हो गये थे जिसके संबंध में गांव में मीटिंग रखी गई थी तभी गांव का प्रकाश आया और पंचों को और गांव वालों को गाली देने लगा फिर प्रकाश भाग गया और अपनी माँ कलाबाई को बुलाकर लाया तो उसकी माँ पंचों को गाली देने लगी और पेशाब करके सब पंचों के उपर फेंक दी। आरोपी कलाबाई गाली देते हुये बोल रही थी कि पंचों के मुंह में मुतुंगी और गन्दी-गन्दी गालिया दने लगी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अशोक कुमार पटले (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना दिनांक 15.10.2009 दिन गुरुवार को दोपहर के 01:00 बजे ग्राम खर्रा के चौपाल दुर्गा मंदिर की है। गांव में से पुलिया पाईप चोरी हो गया था जिसके संबंध में मीटिंग रखी थी। उस समय प्रकाश आया गांव वालों से झगड़ा करके भाग गया। पुलिया चोरी के संबंध में चर्चा चल रही थी। बीच में कलाबाई आई और बोली की मादर चोद सरपंच, गांडू, बोले मुंह से लगा लिये हो तुम्हारी ऐसी की तैसी सरपंच धरमसिंह तेरे करम सुधारूगी कहते हुये अपने पेटीकोट में हाथ डालकर पेशाब करके सब गांव वालों के उपर फेंक दी और बोली जो भी उसके सामने आयेगा जान से मार दूंगी।

(12) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भगेलसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की ग्राम खर्रा की दिन के 02:00 बजे की है। पाईप लाईन चोरी हो गई थी जिसके संबंध में पंचायत मीटिंग रखी गई थी मीटिंग के दौरान आरोपी ओमप्रकाश आया और बोला कि मीटिंग रखते हो और हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हो। उसके बाद आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी माँ कलाबाई को बुलाया और कलाबाई आई और सरपंच को गाली गलौच करने लगी और देखते ही देखते आरोपी कलाबाई स्वयं की पेशाब निकाल मीटिंग में बैठे लोगों के उपर फेंकने लगी।

(13) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी घनश्याम (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढाई साल पुरानी ग्राम खर्रा की दिन के 11-12:00 बजे की हैं घटना दिनांक को पाईप चोरी होने के संबंध में

सरपंच ने मीटिंग रखी थी। मीटिंग चल रही थी उसी समय आरोपी ओमप्रकाश आया और कहने लगा कि उसकी पत्नी और उसका झगड़ा सुलझा दो तो मीटिंग में उपस्थित लोगों ने कहा कि अभी यहाँ दूसरी बात चल रही है और आप अपने घर का मामला आपस में सुलझा लो। उसके बाद ओमप्रकाश जोर से हल्ला करने लगा तो जोरसिंह ने हाथ पकड़कर बोला कि तुम घर जाओ। उसके बाद दोनों माँ और बेटे आये और गाली गलौच करने लगे और ओमप्रकाश की माँ ने कहा कि किसने मेरे लड़के के साथ मारपीट की और भगाया। आरोपी कलाबाई ने अपना मूत्र निकालकर सरपंच, पंच और अन्य बैठे लोगों पर फेंक दिया। आरोपी कलाबाई गन्दी-गन्दी गालिया दे रही थी।

(14) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जोरसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी दिन के 10-11:30 बजे की ग्राम खर्रा की है। घटना दिनांक को पुलिया चोरी हो गई थी के संबंध में मीटिंग रखी थी मीटिंग में लगभग पचास लोग उपस्थित थे। मीटिंग में कलाबाई का लड़का शराब पीकर आया और बोला कि मैं चोर हूँ चोर को कहां ढूँढ रहे हो उन्होंने कहा कि चोर का पता चल गया है तुम चुप रहो और समझाया किन्तु ओमप्रकाश शराब पीया हुआ था उल्टा सीधा बोलने लगा तो मीटिंग से उसे भगाया गया। आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी माँ कलाबाई को बताया तब कलाबाई आई और बोली कि मेरे लड़के को किसने मीटिंग से भगाया और पंचों को मादरचोद की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगी। उसके बाद आरोपी कलाबाई ने अपनी पेशाब को निकाल कर सभी पंचों के उभर छिड़क दिया। कलाबाई धमकी दे रही थी कि झूठा फंसा दूंगी। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई।

(15) अभियोजन साक्षी शिवलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन साल पुरानी दुर्गा मंच ग्राम खर्रा की दिन के 11-12:00 बजे की है। सीमेंट के पाईप चोरी हो गये थे जिसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान आरोपी प्रकाश आया और बोला कि उसने चोरी किया है जो करना है वो करों। उन्होंने ने प्रकाश शराब पीया है कहकर मीटिंग से बाहर कर दिया। उसके बाद

कलाबाई मीटिंग में आई और बोलने लगी कि मेरे लड़के को भगाने वाला कौन होता है कलाबाई बुरे-बुरे शब्द बोलने लगी जो उन्हें सुनने में बुरे लगे। उन्होंने कलाबाई को समझाया कि उन्होंने प्रकाश को कुछ नहीं बोला तुम बेवजह झगड़ा कर रही हो। उसके बाद कलाबाई ने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगी और पंचायत में बैठे लोगों के उपर अपनी पेशाब करके फेंक दी। कलाबाई मार डालने की धमकी दे रही थी।

(16) अभियोजन साक्षी गेंदलाल (अ.सा. 11) का कहना है कि ग्राम पंचायत की पुलिया की सीमेंट पाईप चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में गांव में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में कलाबाई आई और बोली कि मेरे लड़के प्रकाश को क्यों मारा है। मीटिंग में पंच लोग बैठे थे चारो तरफ पूछ-पूछ कर घुम रही थी किसने मारा है और पेशाब कर सभी के उपर फेंक दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पेशाब फेंकने से मीटिंग में बाधा आई थी।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी हरेसिंह (अ.सा. 12) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। गांव में चोरी के संबंध में पंचायत की मीटिंग रखी गई थी जिसमें पूरा गांव एकत्रित हुआ था। कलाबाई और उसके लड़का प्रकाश आया और कलाबाई ने पेशाब करके पंचायत में एकत्रित लोगों के उपर फेंक कर बोला कि हमारी पंचायत कर रहे हो और गांव के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद प्रकाश ने उसके घर आकर उसके साथ लात घुसो से मारपीट की और उसकी बहु चिल्लाई तो गांव के लोग दौड़कर आये तो आरोपीगण भाग गये। गांव के लोगों ने रिपोर्ट की और उसका ईलाज करवाया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने लोगों को अपमानित करने के लिए पेशाब करके फेंक दी थी एवं आरोपीगण गन्दी-गन्दी गालिया दे रहे थे जो सुनने में बुरी लगी तथा आरोपीगण पंचायत वालों को धमकी देकर डरा धमका रहे थे।

(18) अभियोजन साक्षी चरनकुमार पटले (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना

वर्ष 2009 की ग्राम खर्चा की है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा ही बयान पुलिस को देना स्वीकार किया।

(19) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपीगण निर्दोष है फरियादी ने गांव वालों से मिलकर उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है और असत्य कथन किये हैं। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये। आरोपीगण की ओर से आरोपीगण के बचाव में बचाव साक्षी हंसराज कुमारे (ब.सा. 1) एवं लक्ष्मण (ब.सा. 2) का कहना है कि वह आरोपी कलाबाई एवं ओमप्रकाश तथा फरियादी/गवाह धरमसिंह, गणेश, सुरलाल, अशोक, भगेल, घनश्याम चरन, शिवलाल, गेंदलाल व हरेसिंह को जानते हैं सभी ग्राम सुकड़ी पंचायत के लोग हैं तथा सभी ग्राम खर्चा के निवासी हैं। घटना 15.10.2009 की है। सीमेंट पाईप चोरी हो गई थी जिसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया गया था जिसमें वह भी उपस्थित थे। मीटिंग लगभग 10:00 बजे दिन की है। आरोपी ओमप्रकाश भी मीटिंग में बैठा हुआ था। आरोपी ओमप्रकाश ने मीटिंग में बोला कि उसकी पत्नी मायके में रह रही है उसका मायका यही का है। उसके घर नहीं आ रही है उसके संबंध में निराकरण कर दो तब धरमसिंह, गणेश, सुरलाल, अशोक, भगेल, घनश्याम, चरन, शिवलाल, गेंदलाल व हरेसिंह के द्वारा कहा जाने लगा कि तुम्हारी पत्नी के विवाद के संबंध में मीटिंग नहीं रखी गई है उसका निराकरण नहीं करेंगे। दुबारा निराकरण कर दो कहने पर ओमप्रकाश के साथ धरमसिंह, गणेश, सुरलाल, अशोक, भगेल, घनश्याम, चरन, शिवलाल, गेंदलाल व हरेसिंह मीटिंग पर से मारपीट कर भगाने की बात कहने लगे। उसके बाद ओमप्रकाश उसके घर गया और अपनी माँ को उसके साथ हुई मारपीट के बारे में बताया तो उसकी माँ ने मीटिंग में आकर पूछी कि उसके लड़के ने कौन से गलती की है जिससे उसे मारपीट कर भगा दिये हो। उसके ऐसा कहने पर उसके साथ भी धक्का मुक्की कर उसे भगाने लगे। कलाबाई के द्वारा किसी को गली-गलौच व अभद्र व्यवहान नहीं किया गया और न ही

कलाबाई ने पेशाब उठाकर पंचों के उपर फेंकी थी और न ही पंचों को किसी प्रकार से अपमानित किया। पंचों ने मिलकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है।

(20) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(21) अभियोजन साक्षी/फरियादी धरमसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना 16 नवम्बर 2010 की है। रोड के किनारे से चोरी हो गई थी जिसके संबंध में उन्होंने ग्राम खर्रा में दुर्गा मंच में मीटिंग बुलाई थी गांव के करीबन पचास नागरिक शामिल थे आरोपी प्रकाश मीटिंग में आया और विवाद करने लगा। आरोपी ने कहा कि तुम लोग चोरी की मीटिंग रखने वाले होते कौन हो जब मीटिंग में उपस्थित लोगों ने उसे समझाया तो वह घर चला गया, थोड़ी देर बाद उसकी माँ को साथ लेकर आया और उसकी माँ ने पंच लोगों के साथ अभर्द्र व्यवहार किया। कलाबाई बोली कि पंचों की दाई को चोदू, यह बिना मूँछ वाले है, गांडू है उसके बाद अपने दाहिने हाथ से पेशाब करके पूरे पंचों के उपर फेंक दी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट दिनांक 15.10.2009 को थाना में लिखाई थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(22) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता गुरुबचन सिंह (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 16.10.2009 को सूचनाकर्ता धरमसिंह मेरावी की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/09 अन्तर्गत धारा 294, 355, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी धरमसिंह मेरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। दिनांक 16.10.2009 को प्रार्थी धरमसिंह मेरावी, जोरसिंह, शिवलाल एवं दिनांक 17.10.2009 को

गणेश, सुरलाल, अशोक, भगेलसिंह, घनश्याम, चरणकुमार, गेंदलाल, हरेसिंह के कथन

उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 10.11.2009 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 व 04 तैयार किया था जिस पर उसके व आरोपीगण तथा साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(23) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी गणेश (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी है। गांव की पंचायत की पुलिया चोरी हो गई थी जिसके संबंध में गांव के दुर्गा पंच पर मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में 20-25 लोग शामिल थे। उस समय वहां पर आरोपी कलाबाई आ गई और कहने लगी कि उसके लड़के के साथ किसने मारपीट की। तुम्हारी ऐसी की तेसी, माँ का भोसड़ा बैठे हो तुम्हारी मुंह में मुत दुंगी गाली देने लगी जो सुनने में बुरी लगी इसके बाद आरोपी कलाबाई ने अपने कपड़े उपर उठाकर हाथ में पेशाब लेकर मीटिंग में जो लोग बैठे थे उन पर उछाल कर फेंक दी उसके बाद सब लोग ईधर-उधर हो गये। घटना के दूसरे दिन सब लोगों ने मिलकर थाने में रिपोर्ट किये। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(24) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुरलाल परते (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना दिनांक 15.10.2009 दिन गुरुवार की ग्राम खर्रा की है। पंचायत की सीमेंट के बोरा चोरी हो गये थे जिसके संबंध में गांव में मीटिंग रखी गई थी तभी गांव का प्रकाश आया और पंचों को और गांव वालों को गाली देने लगा फिर प्रकाश भाग गया और अपनी माँ कलाबाई को बुलाकर लाया तो उसकी माँ पंचों को गाली देने लगी और पेशाब करके सब पंचों के उपर फेंक दी। आरोपी कलाबाई गाली देते हुये बोल रही थी कि पंचों के मुंह में मुतुंगी और गन्दी-गन्दी गालिया दने लगी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(25) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अशोक कुमार पटले (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना दिनांक 15.10.2009 दिन गुरुवार को दोपहर के 01:00 बजे ग्राम खर्रा के चौपाल दुर्गा मंदिर की है। गांव में से पुलिया

पाईप चोरी हो गया था जिसके संबंध में मीटिंग रखी थी। उस समय प्रकाश आया गांव वालों से झगड़ा करके भाग गया। पुलिस चोरी के संबंध में चर्चा चल रही थी। बीच में कलाबाई आई और बोली की मादर चोद सरपंच, गांडू, बोले मुंह से लगा लिये हो तुम्हारी ऐसी की तैसी सरपंच धरमसिंह तेरे करम सुधारूगी कहते हुये अपने पेटिकोट में हाथ डालकर पेशाब करके सब गांव वालों के उपर फेंक दी और बोली जो भी उसके सामने आयेगा जान से मार दूंगी। सरपंच ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(26) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भगेलसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की ग्राम खर्चा की दिन के 02:00 बजे की है। पाईप लाईन चोरी हो गई थी जिसके संबंध में पंचायत मीटिंग रखी गई थी मीटिंग के दौरान आरोपी ओमप्रकाश आया और बोला कि मीटिंग रखते हो और हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हो। उसके बाद आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी माँ कलाबाई को बुलाया और कलाबाई आई और सरपंच को गाली गलौच करने लगी और देखते ही देखते आरोपी कलाबाई स्वयं की पेशाब निकाल मीटिंग में बैठे लोगों के उपर फेंकने लगी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(27) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी घनश्याम (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढाई साल पुरानी ग्राम खर्चा की दिन के 11-12:00 बजे की हैं घटना दिनांक को पाईप चोरी होने के संबंध में सरपंच ने मीटिंग रखी थी। मीटिंग चल रही थी उसी समय आरोपी ओमप्रकाश आया और कहने लगा कि उसकी पत्नी और उसका झगड़ा सुलझा दो तो मीटिंग में उपस्थित लोगों ने कहा कि अभी यहां दूसरी बात चल रही है और आप अपने घर का मामला आपस में सुलझा लो। उसके बाद ओमप्रकाश जोर से हल्ला करने लगा तो जोरसिंह ने हाथ पकड़कर बोला कि तुम घर जाओ। उसके बाद दोनों माँ और बेटे आये और गाली गलौच करने लगे और ओमप्रकाश की माँ ने कहा कि किसने मेरे लड़के के साथ मारपीट की और भगाया। आरोपी कलाबाई ने अपना मूत्र निकालकर सरपंच, पंच और अन्य बैठे लोगों पर फेंक दिया। आरोपी कलाबाई गन्दी-गन्दी

गालिया दे रही थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(28) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जोरसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी दिन के 10-11:30 बजे की ग्राम खर्रा की है। घटना दिनांक को पुलिया चोरी हो गई थी के संबंध में मीटिंग रखी थी मीटिंग में लगभग पचास लोग उपस्थित थे। मीटिंग में कलाबाई का लड़का शराब पीकर आया और बोला कि मैं चोर हूँ चोर को कहां दूढ़ रहे हो उन्होंने कहा कि चोर का पता चल गया है तुम चुप रहो और समझाया किन्तु ओमप्रकाश शराब पीया हुआ था उल्टा सीधा बोलने लगा तो मीटिंग से उसे भगाया गया। आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी माँ कलाबाई को बताया तब कलाबाई आई और बोली कि मेरे लड़के को किसने मीटिंग से भगाया और पंचों को मादरचोद की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगी। उसके बाद आरोपी कलाबाई ने अपनी पेशाब को निकाल कर सभी पंचों के उभर छिड़क दिया। कलाबाई धमकी दे रही थी कि झूठा फंसा दूंगी और एक को तो मार भी दिया। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(29) अभियोजन साक्षी शिवलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन साल पुरानी दुर्गा मंच ग्राम खर्रा की दिन के 11-12:00 बजे की है। सीमेंट के पाईप चोरी हो गये थे जिसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान आरोपी प्रकाश आया और बोला कि उसने चोरी किया है जो करना है वो करों। उन्होंने ने प्रकाश शराब पीया है कहकर मीटिंग से बाहर कर दिया। उसके बाद कलाबाई मीटिंग में आई और बोलने लगी कि मेरे लड़के को भगाने वाला कौन होता है कलाबाई बुरे-बुरे शब्द बोलने लगी जो उन्हें सुनने में बुरे लगे। उन्होंने कलाबाई को समझाया कि उन्होंने प्रकाश को कुछ नहीं बोला तुम बेवजह झगड़ा कर रही हो। उसके बाद कलाबाई ने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगी और पंचायत में बैठे लोगों के उपर अपनी पेशाब करके फेंक दी। कलाबाई मार डालने की धमकी दे रही थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(30) अभियोजन साक्षी गेंदलाल (अ.सा. 11) का कहना है कि ग्राम पंचायत की पुलिस की सीमेंट पाईप चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में गांव में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में कलाबाई आई और बोली कि मेरे लड़के प्रकाश को क्यों मारा है। मीटिंग में पंच लोग बैठे थे चारों तरफ पूछ-पूछ कर घुम रही थी किसने मारा है और पेशाब कर सभी के उपर फेंक दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पेशाब फेंकने से मीटिंग में बाधा आई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(31) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी हरेसिंह (अ.सा. 12) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। गांव में चोरी के संबंध में पंचायत की मीटिंग रखी गई थी जिसमें पूरा गांव एकत्रित हुआ था। कलाबाई और उसके लड़का प्रकाश आया और कलाबाई ने पेशाब करके पंचायत में एकत्रित लोगों के उपर फेंक कर बोला कि हमारी पंचायत कर रहे हो और गांव के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद प्रकाश ने उसके घर आकर उसके साथ लात घुसो से मारपीट की और उसकी बहु चिल्लाई तो गांव के लोग दौड़कर आये तो आरोपीगण भाग गये। गांव के लोगों ने रिपोर्ट की और उसका इलाज करवाया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने लोगों को अपमानित करने के लिए पेशाब करके फेंक दी थी एवं आरोपीगण गन्दी-गन्दी गालिया दे रहे थे जो सुनने में बुरी लगी तथा आरोपीगण पंचायत वालों को धमकी देकर डरा धमका रहे थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(32) अभियोजन साक्षी चरनकुमार पटले (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की ग्राम खर्चा की है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा ही बयान पुलिस को देना स्वीकार किया। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(33) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी धरमसिंह (अ.सा. 1) एवं साक्षी/विवेचनाकर्ता गुरुबचनसिंह (अ.सा. 10) तथा साक्षी गणेश (अ.सा. 2), सुरलाल (अ.सा. 3), अशोक कुमार पटले (अ.सा. 4), भगेलसिंह (अ.सा. 5), चरनकुमार पटले (अ.सा. 6), घनश्याम (अ.सा. 7), जोरसिंह (अ.सा. 8), शिवलाल (अ.सा. 9), गेंदलाल (अ.सा. 11), हरेसिंह (अ.सा. 12) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी धरमसिंह (अ.सा. 1) तथा साक्षी गणेश (अ.सा. 2), सुरलाल (अ.सा. 3), अशोक कुमार पटले (अ.सा. 4), भगेलसिंह (अ.सा. 5), चरनकुमार पटले (अ.सा. 6), घनश्याम (अ.सा. 7), जोरसिंह (अ.सा. 8), शिवलाल (अ.सा. 9), गेंदलाल (अ.सा. 11), हरेसिंह (अ.सा. 12) के कथनों से भी घटना की आंशिक पुष्टि होती है।

(34) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव में तर्क है कि फरियादी ने पंच एवं सरपंच तथा गांव वालों से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है। अभियोजन साक्षियों ने असत्य एवं दुर्भावना वंश कथन किये हैं। किन्तु आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि फरियादी ने पंच एवं सरपंच तथा गांव वालों से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है। अभियोजन साक्षियों ने असत्य एवं दुर्भावना वंश कथन किये हैं।

(35) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.10.2009 को समय 13:00 बजे ग्राम खर्रा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत प्रार्थी धरमसिंह व अन्य पंचों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने आपराधिक अभित्रास कारित किया। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने 15.10.2009 को समय 13:00 बजे ग्राम खर्रा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादी धरमसिंह सरपंच जो पंचों के साथ मिटिंग में बैठा था को

लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं स्वमूत्र को हाथ में लेकर प्रार्थी धरमसिंह सरपंच व अन्य पंचों के उपर अनादर करने के आशय से डालकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(36) परिणाम स्वरूप आरोपी कलाबाई एवं ओमप्रकाश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506-बी के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपी कलाबाई व ओमप्रकाश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 355 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(37) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(38) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(39) दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

(40) आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उन्हें कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(41) आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(42) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(43) आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी कलाबाई एवं आरोपी ओमप्रकाश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के आरोप में 500 /—, 500 /— (पांच—पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 355 के आरोप में 1000 /—, 1000 /— (एक—एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपीगण को एक—एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(44) निर्णय की एक प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)